भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2259

07/08/2026 को उत्तरार्थ

विषय- गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का परिवर्तन

2259. श्री जग्गेशः

क्या ***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए लगातार कृषि योग्य भूमि का परिवर्तन देश की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के संबंध में चिंता का विषय बन गया है;

(ख) क्या सरकार ने देशभर में गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित की गई कृषि भूमि का आकलन किया है;

(ग) क्या सरकार ने घटते कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो कृषि योग्य भूमि के संरक्षण, उसके अंधाधुंध परिवर्तन को रोकने तथा सतत कृषि उत्पादन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से नीतिगत उपाय, विधायी सुरक्षा उपाय और प्रोत्साहन लागू किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची द्वितीय (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। तदनुसार, भूमि का विनियमन, भूमि उपयोग और कृषि भूमि का औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का क्षेत्राधिकार है और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के विशिष्ट कानूनों द्वारा शासित होता है।

भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में कृषि योग्य कुल भूमि 179.43 मिलियन हेक्टेयर (2024-25 में), 179.77 मिलियन हेक्टेयर (2023-24 में) और 179.98 मिलियन हेक्टेयर (2022-23 में) रही है।

तथापि, सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 198.28 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 225.19 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण फसल सघनता में भी निरंतर सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 में 142.2% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 159.7% हो गई है। यह बहु-फसली खेती की ओर

सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है और किसानों की एक ही भूमि पर वार्षिक एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2014-15 में 252.02 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 376.56 मिलियन टन (अग्रिम अनुमान) हो गया है, जबकि बागवानी उत्पादन वर्ष 2014-15 में 280.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 377.77 मिलियन टन (अग्रिम अनुमान) हो गया है।

भारत सरकार सतत कृषि विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त नीतिगत उपायों और योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शामिल हैं। ये पहलें सतत कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, मृदा एवं जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देती हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करते हुए संतुलित एवं सतत विकास में योगदान करता है।

भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित/निम्नीकृत भूमि का विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत किए गए अन्य कार्यों के साथ-साथ रिजक्षेत्र उपचार, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पौध संवर्धन, चारागाह विकास, आजीविका/भूमि से आय की क्षमता में सुधार करना आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत उठाए गए कदम सरकार द्वारा कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों का पूरक है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय विकसित किए हैं। इनमें देश में वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट जैव-इंजीनियरिंग, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और पवन अपरदन को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट तकनीक तथा समस्याग्रस्त मिट्टी के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, जल निकासी, अतिरिक्त जल की निकासी, उत्तम गुणवत्ता वाले सिंचाई जल की उपलब्धता, सुधारकों का प्रयोग, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। आईसीएआर ने आगे निम्नीकृत गुणवत्ता वाली मृदाओं में सुधार और उन्हें फसल उत्पादन के अंतर्गत लाने के लिए कई कृषि संबंधी उपायों की सिफारिश की है, जिनमें मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन शामिल है, जिसके लिए पौधों के पोषक तत्वों के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्रोतों (जैसे खाद, जैव उर्वरक आदि)

का संयुक्त उपयोग किया जाता है, तथा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में गिरावट को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट मृदा एवं जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की राष्ट्रीय जलवायु-प्रतिरोधी कृषि नवाचार परियोजना (एनआईसीआरए) के तहत, जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार 651 कृषि जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। एनआईसीआरए के अंतर्गत, गोद लिए गए गांवों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर बीज बैंक और सामुदायिक नर्सरी स्थापित करने हेतु क्षमता निर्माण कार्य किया जा रहा है। कई एनआईसीआरए गांवों में सूखा और बाढ़ सहिष्णु जलवायु-प्रतिरोधी चावल, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार, चना और बाजरा की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। एनआईसीआरए के तहत, जलवायु-प्रतिरोधी पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में कवर किए गए 151 जिलों के अलावा अतिरिक्त संवेदनशील जिलों में छोटे एवं सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। सुचारू संचालन और आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए, ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियों, बीज एवं चारा बैंकों जैसी किसान भागीदारी पद्धतियों के माध्यम से ग्राम स्तरीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 दिनांक 01.01.2014 से कार्यान्वित किया गया है। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है, जिसमें बहुफसली सिंचित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार, आजीविका, कृषि पद्धतियों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य है। जहां भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक मुआवजे, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभों सहित क्षतिपूर्ति तंत्र उपलब्ध कराया जाता है और कुछ मामलों में भूमि के बदले भूमि का मुआवजा भी दिया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित कृषि भूमि की सीमा के संबंध में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।
